कार्यालय उपसंचालक पशुपालन विभाग जिला अशोकनगर (म.प्र.)

[17/3/2025]

क्रमांक– 816 /विसप्र./2024-25

अशोकनगर दिनांक–28/02/2025

मध्यप्रदेश विधानसभा सचिवालय क. 1646]

(1)	अतारांकित प्रश्न क्रमांक	:–	1646 (श्री इंजिनियर हरिबाबू राय)
(2)	सदन में उत्तर देने का दिनांक	:–	17/03/2025
(3)	उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक	:–	05/03/2025
(4)	विभाग का नाम	:–	पशुपालन एवं डेयरी विभाग
(5)	वर्ग	:–	4

विषय :– गौ संरक्षण हेतु गौअभ्यारन्य की स्वीकृति ।

क्या पशुपालन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र.	प्रश्न	क्र.	उत्तर
(क)	प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्य मंत्री महोदय को पत्र क्रमांक 724/अशोकनगर दिनांक 18/09/2024 एवं श्रीमान कलेक्टर जिला अशोकनगर को पत्र क्रमांक 725/ अशोकनगर दिनांक 18/09/2024 एवं पत्र क्रमांक 1130/ अशोकनगर दिनांक 31/12/2024 के द्वारा गौ संरक्षण हेतु गौ अभ्यारण्य की स्वीकृति के लिए लिखा गया है। अभी तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ।	(क)	माननीय विधायक महोदय के पत्र पर कार्यवाही की गयी है जिसके क्रम में विधानसभा अशोकनगर में गौ अभ्यारण हेतु बिजली तथा पानी की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थल निरिक्षण अधिकारीयों की टीम द्वारा दिनांक 09.10.2024 को किया गया था
(ख)	विधानसभा अशोकनगर के ग्राम जतोली, ग्राम करेवा राय एवं ग्राम पठारी की उयुक्त सीमा पर लगभग 800 से 1000 बीघा भूमि राजस्य विभाग की पड़ती (रिक्त) पड़ी हुई है। जिसका स्थल निरीक्षण संचालक पशुपालन विभाग जिला अशोकनगर साथ में नायब तहसीलदार, पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की टीम ने दिनांक 09/10/2024 को प्रश्नकर्ता साथ कर लिया गया था।	(ख)	जी हाँ ।
(ग)	भूमि की उपलब्धता पशुपालन हेतु उपयुक्तता की जांचकर सहमति मोके पर ही दे दी गई थी। अभी तक कोई ठोस कार्यवाही इस दिशा में नहीं की गई हैं। इस गौ अभ्यारण्य जैसे कार्य की स्वीकृत कब तक देगें ।	(ग)	निरिक्षण की गई भूमि पर बिजली व पानी की सुविधा का आंकलन कर राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि का परिक्षण किया जा रहा है समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

(डॉ.कल्पना कीवान) 28/2/25
उप संचालक
पशु पालन विभाग
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

Scanned with OKEN Scanner